अनुदान संख्या 87 – पोत परिवहन मंत्रालय
GRANT No. 87 - MINISTRY OF SHIPPING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1839,47,00		2183,09,00	1953,23,20	-229,85,80
पूरक	Supplementary	343,62,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					217,87,57
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	421,66,00		546,66,00	368,40,04	-178,25,96
पूरक	Supplementary	125,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					172,39,15

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹22985.80 लाख) जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त की गई ₹34362.00 लाख की पूरक अनुदानों का 67 प्रतिशत थीं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹22985.80 lakhs) constituted 67 percent of the supplementary grants of ₹34362.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and 11 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7300.00	5903.21	5520.29	-382.92
पु.	R.	-1396.79			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	14000.00	..	..	..
पु.	R.	-14000.00			
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
पत्तन और प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	91332.00			
पू.	S.	2.00	78126.23	77325.76	- 800.47
पु.	R.	-13207.77			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	14265.00	12436.27	12422.07	-14.20
पु.	R.	-1828.73			
मुख्य शीर्ष "3056"	Major Head "3056"				
अंतर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport				
मू.	O.	36800.00			
पू.	S.	34360.00	87063.79	87063.79	..
पु.	R.	15903.79			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकार को सहायता अनुदान	Grant-in-aid to State Governments				
मू.	O.	17000.00	10000.00	10000.00	..
पु.	R.	-7000.00			

(I) ₹25400.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹25000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹25400.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹25000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "अंतर्देशीय जल परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" – ₹12000.00 लाख –पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण।

(ख) "अंतर्देशीय जल परिवहन – केंद्रीय योजना स्कीमें – आईडब्ल्यूटी का विकास" – ₹2000.00 लाख – पूर्वोत्तर राज्यों से मांग न मिलने के कारण।

(A) Major Head "2552" -

(a) "Inland Water Transport - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Inland Waterways Authority of India" - ₹12000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(b) "Inland Water Transport - Central Plan Schemes - Development of IWT" - ₹2000.00 lakhs - due to non-receipt of demand from North Eastern States.

(खा) मुख्य शीर्ष "3051" – "सामान्य – अन्य व्यय – तेल प्रदूषण को दूर करने और नियंत्रित करने के उपायों के लिए प्रतिपूर्ति" – ₹1000.00 लाख – तेल बिखराव प्रत्युत्तर स्कीम के संशोधन में विलंब के कारण।

(B) Major Head "3051" - "General - Other Expenditure - Reimbursement for Combating Oil Pollution and Mitigating Measures" - ₹1000.00 lakhs - due to delay in revision of scheme on Oil Spill Response.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – तटीय पोत परिवहन बर्थ को सहायता" – ₹10000.00 लाख – सांविधिक स्वीकृति में विलंब तथा राज्य सरकार द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

(C) Major Head "3601" - "Other Transfer /Grants to States - Special Assistance - Assistance to Coastal Shipping Berth" - ₹10000.00 lakhs - due to delay in statutory clearance and requirement of less funds by State Government.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पोत परिवहन मंत्रालय" के अंतर्गत ₹1779.71 लाख की बचत (₹7300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनिर्णय रिलीज न होने और रिक्त पदों को न भरे जाने कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Shipping" - saving of ₹1779.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7300.00 lakhs) was due to non-release of International Arbitration Awards and non-filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष "3051" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "3051" - savings occurred under the following heads: -

(का) "मुख्य पत्तन – निदेशन और प्रशासन – सागरमाला" – ₹4492.30 लाख की बचत (₹1.50 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹18001.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समग्र परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा परियोजनाओं के लिए सांविधिक स्वीकृति प्राप्त होने में विलंब के कारण हुई।

(A) "Major Ports - Direction and Administration - Sagarmala" - saving of ₹4492.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18001.50 lakhs including token supplementary grant of ₹1.50 lakhs) was due to non-finalization of detailed project reports and delay in receipt of statutory clearance of projects.

(खा) "लघु पत्तन – निदेशन और प्रशासन – सीई – सह–प्रशासन कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर तथा ई.ई. और संपर्क कार्यालय, नई दिल्ली के संबंध में स्थापना शुल्क" – ₹668.59 लाख की बचत (₹6494.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान और निकोबार में विविध पत्तनों पर नए कॉरगो हैंडलिंग उपस्करों के प्रतिस्थापन की वजह से रख–रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(B) "Minor Ports - Direction and Administration - Establishment charges in respect of CE-cum-Administrator office at Port Blair and E.E. & Liaison Office at New Delhi" - saving of ₹668.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6494.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards maintenance cost owing to replacement of new Cargo Handling Equipment at various Ports in Andaman & Nicobar.

(गा) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत" –

(C) "Light Houses and Light Ships" -

(क) "निदेशन और प्रशासन – महानिदेशक" – ₹690.01 लाख की बचत (₹4903.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा लंबे मानसून तथा गज तूफान के कारण कुछ निदेशालयों में अनुरक्षण कार्य न कराए जाने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration - Directorate General" - saving of ₹690.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4903.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non- carrying out of maintenance work at few Directorates owing to prolonged monsoon and Gaja Storm.

(ख) "प्रकाश स्तंभ–कार्य संबंधी व्यय" –

(b) "Light Houses - Working Expenses" -

(i) "प्रबंधन" – ₹1251.62 लाख की बचत (₹7825.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, जनशक्ति की कम आउटसोर्सिंग और संबंधित प्राधिकारियों से वन स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "प्रचालन एवं अनुरक्षण" – ₹536.51 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के ड्राई डोकिंग कार्य के बिलों के निपटान में प्रशासनिक कारणों से विलंब की वजह से हुई।

(iii) "सामान्य आरक्षित निधि" – ₹4700.00 लाख की बचत (₹11276.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्राप्ति के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3052" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – पोत परिवहन महानिदेशालय" ₹1877.22 लाख की बचत (₹10992.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कम चिकित्सा और यात्रा भत्ते दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹474.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹16362.75 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹34361.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "3051" – "मुख्य पत्तन – पत्तन न्यासों को सहायता – मार्मुगावो पोर्ट ट्रस्ट" – ₹473.50 लाख।

(i) "Management" - saving of ₹1251.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7825.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less outsourcing of manpower and non-receipt of forest clearance from concerned authorities.

(ii) "Operation and Maintenance" - saving of ₹536.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to delay in settlement of bill of Cochin Shipyard Limited for Dry docking work owing to administrative reasons.

(iii) "General Reserve Fund" - saving of ₹4700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11276.00 lakhs) was due to less receipts.

(IV) Under Major Head "3052" - "General - Direction and Administration - Directorate General of Shipping" - saving of ₹1877.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10992.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical and travelling allowance claims and economy measures.

(V) Under one head saving of ₹474.00 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹16362.75 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹34361.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head "3051" - "Major Ports - Assistance to Port Trusts - Mormugao Port Trust" - ₹473.50 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3056" – "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता"

(क) "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान" – ₹10694.75 लाख।

(ख) "जल मार्ग विकास परियोजना के लिए आईडब्ल्यूएआई को अनुदान" – ₹2499.75 लाख।

(ग) "जल मार्ग विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता" – ₹2694.75 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – सागरमाला परियोजनाएं" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹3000.00 लाख का अधिक व्यय (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम के अंतर्गत अधिक परियोजनाओं की मंजूरी के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹17825.96 लाख) फरवरी, 2019 में प्राप्त ₹12500.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

(B) Major Head "3056" - "Assistance to Public Sector and Other Undertakings" -

(a) "Grant to Inland Waterways Authority of India" - ₹10694.75 lakhs.

(b) "Grants to IWAI for Jal Marg Vikas Project" - ₹2499.75 lakhs.

(c) "Aid from World Bank for Jal Marg Vikas Project" - ₹2694.75 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Sagarmala Projects" - excess of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to sanction of more projects under the scheme.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹17825.96 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹12500.00 lakhs obtained in February, 2019 and constituted 33 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5051"	Major Head "5051"				
पत्तन और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	38500.00			
पू.	S.	12500.00	36373.00	36219.76	-153.24
पु.	R.	-14627.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) ;In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5052" पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital outlay on Shipping				
मू.	O.	3500.00	887.85	620.28	-267.57
पु.	R.	-2612.15			

(I) ₹25166.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹25000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "5051" – "मुख्य पत्तन – निदेशन और प्रशासन – सागरमाला विकास कंपनी" के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति में बदलाव के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹25166.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹25000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "5051" - "Major Ports - Direction and Administration - Sagarmala Development Company" - due to change in funding pattern.

(II) मुख्य शीर्ष "5051" – "लघु पत्तन – अन्य छोटे पत्तन – लैंडिंग सुविधाओं तथा जेट्टी का निर्माण" – ₹2223.23 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) – पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने में विलंब तथा कालापानी ब्रेकवाटर की बहाली के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5051" - "Minor Ports - Other Small Ports - Construction of landing facilities and Jetties" - saving of ₹2223.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to delay in receipt of Environmental Clearance and finalization of tender for restoration of Kalapani Breakwater.

(III) मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य – अन्य व्यय" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(III) Under Major Head "5052" - "General - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads: -

(का) "भवन" – "₹923.77 लाख की बचत (₹1070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए जहाज भवन, महानिदेशक (पोत परिवहन) के निर्माण के लिए योजना के अनुमोदन में विलंब के कारण हुई।

(A) "Buildings" - saving of ₹923.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1070.00 lakhs) was due to delay in approval of plan for construction of new Jahaz Bhawan, DG (Shipping).

(खा) "ई–गर्वनेंस" – "₹1955.95 लाख की बचत (₹2430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुपुर्दगी की समय सीमा का अनुपालन न होने के कारण संविदा की समाप्ति के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5051" – "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण" – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹12500.00 लाख का अधिक व्यय शून्य प्रावधान की तुलना में सागरमाला परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क तथा अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधियों के अधिक अंतरण के कारण हुआ।

(B) "E-Governance" - saving of ₹1955.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2430.00 lakhs) was due to termination of contract owing to non-adherence of timelines for delivery.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5051" - "Transfer to Reserve Funds /Deposit Accounts - Transfer to Central Road & Infrastructure Fund" - excess of ₹12500.00 lakhs (against nil provision) was due to transfer of more funds to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) towards Sagarmala Projects.